राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण**

01 सांवताराम पुत्र श्योदान
1/1 छोटी देवी पत्नी सांवताराम
1/2 हनुमान पुत्र सांवताराम
1/3 रंगलाल पुत्र सांवताराम
1/4 सुजाराम पुत्र सांवताराम
1/5 सुवाराम पुत्र सांवताराम
1/6 भंवरी देवी पुत्री सांवताराम
1/7 रूखादेवी पुत्री सांवताराम
1/8 राजूदेवी पुत्री सांवताराम
सभी जाति गुर्जर निवासी घाटी बारली गुंर्जरो की ढाणी गिगोली

02 श्रवणराम पुत्र श्योदान

03 मोतीराम पुत्र श्योदान

04 3/1 पतासी देवी पत्नी मोतीराम
रामूराम पुत्र अर्जुनराम

05 जग्गाराम पुत्र अर्जुनराम

06 हीराराम पुत्र अर्जुनराम

07 गोविन्दराम पुत्र अर्जुनराम

08 पांचूराम पुत्र अर्जुनराम

09 तेजाराम पुत्र भागूराम

10 केशराराम पुत्र भागूराम सभी जाति गर्जर निवासी घाटी बारली गुर्जरो की ढाणी गिंगोली तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

01 लाडादेवी पत्नी उगमाराम जाति जाट निवासी गिगोली
1/1 नोलाराम पुत्र लाडोदेवी
1/2 चतरा राम पुत्र लाडादेवी
1/3 श्रवणराम पुत्र लाडादेवी
1/4 पुसाराम पुत्र लाडादेवी
1/5 मोहनराम पुत्र लाडादेवी
1/6 सुजाराम पुत्र लाडादेवी
1/7 अमरी देवी पुत्री लाडादेवी
1/8 कमला देवी पुत्री लाडा देवी
सभी जाति जाट निवासी गिगोली

02 लालीदेवी पत्नी गिरधारी राम जाति कुम्हार निवासी गिगोली

03 श्रीमति सुथार कंवर पुत्री हुकमसिंह पत्नी महेन्द्र सिंह के कायम मुकामान :–
3/1 रणवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
3/2 रिन्कू कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह
3/3 मिन्टू कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह सभी जाति राजपूत निवासी सराय पोस्ट गुढा गोडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झूझूनु

04 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर

05 उप पंजियक, परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०एक्ट व आर्डर 39 नियम 01 व 02 तथा सपठित धारा 151 सी०पी०सी०

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमप्रकाश जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

प्रार्थीगण बनाम **अप्रार्थीगण**

01 सांवताराम पुत्र श्योदान
1/1 छोटी देवी पत्नी सांवताराम
1/2 हनुमान पुत्र सांवताराम
1/3 रंगलाल पुत्र सांवताराम
1/4 सुजाराम पुत्र सांवताराम
1/5 सुवाराम पुत्र सांवताराम
1/6 भंवरी देवी पुत्री सांवताराम
1/7 रूखादेवी पुत्री सांवताराम
1/8 राजूदेवी पुत्री सांवताराम
सभी जाति गुर्जर निवासी घाटी बारली गुंर्जरो की ढाणी गिगोली

02 श्रवणराम पुत्र श्योदान

03 मोतीराम पुत्र श्योदान

04 3/1 पतासी देवी पत्नी मोतीराम
रामूराम पुत्र अर्जुनराम

05 जग्गाराम पुत्र अर्जुनराम

06 हीराराम पुत्र अर्जुनराम

07 गोविन्दराम पुत्र अर्जुनराम

08 पांचूराम पुत्र अर्जुनराम

09 तेजाराम पुत्र भागूराम

10 केशराराम पुत्र भागूराम सभी जाति गर्जर निवासी घाटी बारली गुर्जरो की ढाणी गिंगोली तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

01 लाडादेवी पत्नी उगमाराम जाति जाट निवासी गिगोली
1/1 नोलाराम पुत्र लाडोदेवी
1/2 चतरा राम पुत्र लाडादेवी
1/3 श्रवणराम पुत्र लाडादेवी
1/4 पुसाराम पुत्र लाडादेवी
1/5 मोहनराम पुत्र लाडादेवी
1/6 सुजाराम पुत्र लाडादेवी
1/7 अमरी देवी पुत्री लाडादेवी
1/8 कमला देवी पुत्री लाडा देवी
सभी जाति जाट निवासी गिगोली

02 लालीदेवी पत्नी गिरधारी राम जाति कुम्हार निवासी गिगोली

03 श्रीमति सुप्यार कंवर पुत्री हुकमसिंह पत्नी महेन्द्र सिंह के कायम मुकामान :–
3/1 रणवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
3/2 रिन्कू कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह
3/3 मिन्टू कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह सभी जाति राजपूत निवासी सराय पोस्ट गुढा गोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झूझूनु

04 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर

05 उप पंजियक, परबतसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट व आर्डर 39 नियम 01 व 02 तथा सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमप्रकाश जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण व

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन

2 श्री अरूण कुमार माथुर अधिवक्ता अप्रार्थीगण

मुकदमा नम्बर 68 / 2015

दिनांक 06.05.2025

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश जोशी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है कि ग्राम गिगोली के खसरा संख्या 92 रकबा 40 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 92 / 1 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 92 / 2 रकबा 01 बिस्वा गै.मु.बेरा कुल रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 149, 150 व 151 रकबा 6.5700 हैक्टेयर है जिसका बोलता नाम जाव है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1 / 4 हिस्सा है अलग बंटा हुआ है पूर्व में शेष 3 / 4 हिस्से की जमीन, पश्चिम में प्रार्थीगण व भवरू गुर्जर की जमीन, उत्तर में छीतर गुर्जर की जमीन, दक्षिण में प्राकृतिक नाला व प्रार्थीगण की जमीन इस जमीन का पट्टा सेटमेन्ट से प्रार्थीगण के दादा गौरूराम के नाम आया था। प्रार्थना पत्र के पेरा 04 में वंशावली पेश की है 1 / 2 हिस्से में पिथा पुत्र नानू राईका का नाम तथा 1 / 4 हिस्से में बालू पुत्र नानू राईका का नाम व शेष 1 / 4 हिस्से में गौरू पुत्र धन्ना गुर्जर आया हुआ है तथा 1 / 2 हिस्से में खातेदार पीथा पुत्र नानू राईका की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज हो गई । इस सम्बन्ध में नामन्तरण संख्या 33 दर्ज किया गया जिसमें गौरूराम के वारिसान की जाति राईका दर्ज कर दी गई। हुक्मसिंह, रेंवत सिंह, नाहरसिंह पिता रूपसिंह ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जो हुक्मसिंह बनाम नरूदेवी मुकदमा संख्या 219 / 1994 का जो दिनांक 07.08.2004 को खारिज कर दिया गया तत्पश्चात हुक्मसिंह बनाम नरूदेवी मुकदमा संख्या 08 / 97 प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 07.04.2005 को किया गया जिसमें प्रार्थीगण की जाति गुर्जर अंकित कर दी गई हमारी जाति गलत बताकर डिक्री प्राप्त की है इसलिए उक्त निर्णय एबइनीशियों वाईड है प्रार्थीगण को उक्त मुकदमें में किसी प्रकार की तामील नहीं हुई उस निर्णय की अपील अपील प्राधिकारी नागौर के यहा प्रस्तुत की इस दौरान हुक्मसिंह वगैरह ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के आधार पर रकबे

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन

दुरूस्ती करवा दी। इस भूमि मे हुक्मसिंह के पिता को हुक्मसिंह वगैरह ने कभी भी खेती नही की, प्रार्थीगण 1/4 हिस्से की जमीन की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है बंटवारा कराने के अधिकारी है तथा अपनी जाति का नाम सही करवाने के अधिकारी है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल कर देवे तथा गौरा सिंह की सम्पूर्ण जमीन को बेचान कर देवे प्रार्थीगण के पक्ष मे प्राईमा फेसी केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर 1/4 हिस्से के कब्जे काश्त मे मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण दखल अन्दाजी नही करे तथा रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अनुतोष चाहा है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तो अप्रार्थीगण की तामील होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण किसी भी हिस्से पर कभी काबिज काश्तकार नही रहे। प्रार्थीगण द्वारा दर्शाये गये पाईमा फेस की भूमि मे प्रार्थीगण व उनके पूर्वजो का कभी कब्जा काश्त नही रहा प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतया असत्य है कि प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा अलग बंटा हुआ था, प्रार्थीगण द्वारा स्वर्गीय गोरूराम की वंशावली गलत दर्ज कि है प्रारम्भ से ही कब्जा काश्त करणसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज चला आ रहा है राजस्व रेकर्ड मे पीथाराम वगैरह का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जा चुका है तथा उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है पीथाराम व बालूराम के वारिसान द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को किसी भी न्यायालय मे चुनौति नही दी गई है तथा स्वर्गीय गोरूराम के वारिसान द्वारा भी उनके विरूद्ध डिक्री पारित होने के पश्चात किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही की गई थी, महज अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से विभिन्न न्यायालयो मे वाद प्रस्तुत किया है, नामान्तरण संख्या 53 प्रार्थीगण के आवेदन पर दर्ज किया गया है जिसमे अप्रार्थीगण अथवा स्वर्गीय हुक्मसिंह वगैरह का कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थीगण विवादग्रस्त कृषि भूमि के निकटतम पड़ोसी होने से

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

उनकी नियत मे फितूर आ गया है तथा अप्रार्थीगण के उक्त भूमि खरीदने के पश्चात से बेबुनियाद आधारहीन वाद प्रस्तुत किया है,राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण की जाति राईका लिखते हुए नोटिस जारी किये गये थे तथा उक्त नोटिस तामिल नही होने के पश्चात प्रार्थीगण की जाति गुर्जर अंकित करते हुए प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये थे जिनकी तामिल प्रार्थीगण को व्यक्तिगत रूप से हुई थी तथा प्रार्थीगण की जानकारी में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा दखल विवादग्रस्त भूमि में नही होने से उनके द्वारा हुक्मसिंह वगैरह प्रस्तुत वाद को किसी प्रकार से कंटेस्ट नही किया उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 124/1994 प्रस्तुत किया गया था तथा मौका कमिश्नर श्री मूलचन्द सोलंकी द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया था कभी प्रार्थीगण के परिवार के सदस्य अर्थात् प्रार्थी संख्या 09 व 10 के पिता भागूराम, प्रार्थी संख्या 01 का पुत्र मेवाराम व आड़ौस पाड़ौस के निवासी उपस्थित थे इस प्रकार प्रार्थीगण स्वंय व परिवारजन रेवतसिंह वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद से पूर्णतया परिचित थे इस कारण वाद संख्या 08/97 डिक्री किये जाने पर उनके हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। प्रार्थीगण स्वंय के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को चुनौती देते हुए आर॰ए॰ए॰ नागौर में अपील की गई थी अर्थात् उक्त अपील के विचाराधीन होने के दौरान विधि अनुसार प्रस्तुत वाद एंव प्रार्थना पत्र नाकाबिल चलने के है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मौके पर काबिज काश्तकार है प्रार्थीगण ने इसी आधार पर डिक्री को चुनौती देते हुए श्रीमान अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश परबतसर के न्यायालय में इन्ही आधारो पर वाद एंव प्रार्थना पत्र विचाराधीन होते माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार नाकाबिल चलने के है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 शान्ति पूर्वक लगातार वक्त खरीद से काबिज काश्तकार है जिसने द्वारा कुए पर 10 एच॰पी॰का विद्युत सम्बन्ध प्राप्त कर काश्त करते आये है बगैर कब्जे व स्वामित्व के अस्थाई निषधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करन के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण द्वारा दर्शाये गये पाड़ौस बीच में स्वर्गीय रतन सिंह वगैरह द्वारा 30 वर्ष से अधिक समय पूर्व से उक्त

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचा

स्थान पर पक्का मकान बनाकर स्वर्गीय रेंवतसिंह जी निवास करते थे। उक्त तथ्य प्रार्थीगण की जानकारी में है तथा उसी स्थान पर अप्रार्थीगण ढाणी व बाड़ा बनाकर निवास करते है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में नाजायज रूप से प्रवेश कर अतिक्रमण करने का प्रयास करने पर तथा अप्रार्थीगण के परिवारजन के साथ मारपीट करने के कारण फौजदारी मुकदमा प्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज किया गया था उक्त फौजदारी प्रकरण में प्रार्थीगण को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परबतसर के न्यायालय द्वारा दोषी मानते हुए दण्डित किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 श्रीमति लाडा देवी का स्वर्गवास दिनांक 27.11.2018 को हो चुका है उनके वारिसान को रेकर्ड पर नहीं लिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2066 राजस्व वाद संख्या 81/2009 सांवता राम बनाम श्रीमति लाडादेवी के डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 04.06.2015 की फोटो प्रति प्रस्तुत की, नकल जमाबन्दी संवत 2015 से 2060 तक की फोटो प्रति पेश की तत्पशचात प्रार्थीगण द्वारा वाद संख्या 219/1994 के निर्णय दिनांक 02.08.2004 की प्रतिलिपी, प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद की प्रतिलिपी व वाद संख्या 08/1997 में जारी सम्मन की फोटो प्रतिलिपी प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब व समर्थन में प्रस्तुत वाद के साथ प्रस्तुत किये गये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 28/2007 के निर्णय दिनांक 13.08.2007 की फोटो प्रतिलिपी पेश की, माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 13.08.2007 की अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय मे प्रस्तुत की जिसमें संशोधन का प्रार्थना पत्र व आदेशिका तथा श्रीमान् द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में किये गये निर्णय की राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार करने का निर्णय दिनांक 22.10.2007 की फोटो प्रतिलिपी पेश की, मूल वाद संख्या 31/2016 बअनुवान लाडादेवी वगैरह बनाम रणजीत सिंह वगैरह में किये गये निर्णय दिनांक 28.06.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपी व डिक्री पर्चा वाद संख्या 31/2016 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद न्यायालय श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 परबतसर के न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो प्रार्थीगण का वाद खारिज किया गया उक्त वाद के निर्णय दिनांक 30.09.2023 की फोटो प्रति पेश की, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल वादी की अपील न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 5197/2015 की आदेशिका की फोटो प्रति, अपील मीमो की फोटो प्रतिलिपी, अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश परबतसर के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 18/2010 सांवता बनाम लाडादेवी की आदेशिका की फोटो प्रतिलिपी उक्त वाद की प्रतिलिपी,संवत 2061 से 2064 की जमाबन्दी की फोटो प्रतिलिपी, संवत 2061 से 2064 की जमाबन्दी की प्रतिलिपी, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्धित मूल वाद संख्या 81/2009 में पारित डिक्री पर्चा दिनांक 30.11.2009 की फोटो प्रतिलिपी व निर्णय की फोटो प्रति, हुक्मसिंह बनाम नरूदेवी वाद संख्या 08/97 के निर्णय दिनांक 07.04.2005 की फोटो प्रतिलिपी व डिक्री पर्चा दिनांक 07.04.2005 की प्रति,मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.1994 पेश किये।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की तथा मौखिक रूप से भी बहस की गई प्रार्थी के लिखित बहस व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया अप्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान न्यायिक दृष्टान्त RRD 2017 PAGE NO. 2086, RRD 2014 PAGE NO. 463, RRD 2012 PAGE NO. 420 व RRD 2011 PAGE NO. 563 में प्रकट किया गये अभिमत से भी मार्गदर्शन लिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

यह है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निधारण करने के लिए तीन बिन्दुओ का निधारण करना आवश्यक है जिसमें प्रथम दृष्टिया मामला, सुविद्या का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति बिन्दु को निधारण किया जाना है।

प्रथम दृष्टिया मामला :–

प्रार्थी ने बहस के दौरान इस तथ्य की और न्यायालय का ध्यान आकृर्षित किया है कि प्रस्तुत वाद से सम्बन्धित मूल वाद की अपील राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय को प्रेषित की है इस कारण वाद की निरन्तरता इस न्यायालय में मानी जायेगी तथा वाद संख्या 219/94 जो इसी कृषि भूमि से सम्बन्धित है जो निरस्त किया गया है तथा तत्पश्चात नया दावा प्रस्तुत किया गया जो वाद संख्या 08/97 डिक्री किया है इस कारण अप्रार्थी के पक्ष में किया गया बेचान विधि विरूद्ध है तथा उक्त बेचान के आधार पर अप्रार्थी को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से पर काबिज काश्तकार है। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला है। अप्रार्थी ने बहस के दौरान इस तथ्य का ध्यान दिलाया कि राजस्व अपील अधिकारी नागौर के न्यायालय से पत्रावली, माननीय न्यायालय में न तो प्राप्त हुई न ही दर्ज की गई उसके बगैर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बगैर वाद के सुनवाई नहीं किया जा सकता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसकी आदेशिका एंव प्रार्थना पत्र की पुष्ट पर यह कही भी उल्लेख नहीं है कि मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त वाद की आगामी पेशी विशेष तारीख को नियत है। इससे स्पष्ट है कि मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई योग्य नहीं है तथा अप्रार्थी ने न्यायालय का ध्यान इस और भी आकृर्षित किया कि मूल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2007 को निरस्त किया जा चुका था तथा उक्त राजस्व विविधि प्रार्थना पत्र की अपील भी प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहां प्रस्तुत की थी जो भी दिनांक 22.10.2007 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निरस्त कि जा चुकी है तथा माननीय

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय को यथावत रखा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी का कथन यह रहा है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र नये बिन्दु आने पर पुनः पेश किया जा सकता है इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में पूर्व में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का न तो वितरण अंकित किया गया है न ही किसी प्रकार के नये कारण उत्पन्न होने के आधार पर वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का उल्लेख ही किया है। यहां तक पूर्व वाद संख्या 219/94 व 08/97 में किये गये निर्णय के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल वाद संख्या 81/2009 दिनांक 30.11.2009 को आदेश 07 नियम 11 के तहत निरस्त किया जा चुका है। अप्रार्थीगण विवादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 07.12.1994 जो पूर्व वाद संख्या 219/94 के संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट तलब की गई है जिसमें भी पूर्व डिक्रीदार का कब्जा होना स्पष्टतया दर्शित हो रहा है ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण न तो विवादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है न ही प्रार्थीगण विवादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज होने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा किसी तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है इससे प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का सन्तुलन :-

अप्रार्थीगण विवादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा पूर्व में भी अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया है तथा उक्त निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय किया जा चुका है तथा अन्य रूप से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने के सम्बन्ध में बहस के दौरान तथा प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं होता है इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र में सुविधा का सन्तुलन के सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया जा सकता है तथा अप्रार्थी लगातार काबिज काश्तकार होने से सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

अपूर्णिय क्षति :-

प्रार्थीगण विवादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं होने तथा अप्रार्थीगण न्यायालय की डिक्री के अनुसार किये गये बेचान के आधार पर खातेदार काश्तकार होने तथा पूर्व डिक्री को प्रार्थीगण द्वारा किसी भी न्यायालय में अपील द्वारा चुनौती नहीं देने के कारण तथा विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय संख्या 01 परबतसर द्वारा पूर्व डिक्री मुकदमा संख्या 08/97 व अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये बेचान को चुनौती दिये जाने का वाद माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2023 को निरस्त किये जाने के कारण तथा राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित विधिक मत के अनुसार खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है इस कारण प्रार्थी को किसी प्रकार से अपूर्णिय क्षति होने की सम्भावना नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णिय क्षति के बिन्दुओं को प्रमाणित करने में प्रार्थीगण असफल रहा है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार हो। उक्त पत्रावली दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामकुमार डूडी)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)